# संघ लोक सेवा आयोग

**परीक्षा नोटिस सं. 06/2016 - सी.एम.एस.** **दिनांक : 05.03.2016**

**(आवेदन भरने की अंतिम तारीख 01.04.2016)**

**सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा, 2016**

**(आयोग की वेबसाइट - www.upsc.gov.in)**

**<u>महत्वपूर्ण</u>**

**1. परीक्षा के लिए उम्मीदवार अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लें :**

परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्रता शर्तो को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णत: **अनंतिम** होगा बशर्ते कि वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों।

**उम्मीदवार को मात्र प्रवेश पत्र जारी किए जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि उनकी उम्मीदवारी आयोग द्वारा अंतिम रूप से सुनिश्चित कर दी गई है।**

उम्मीदवार द्वारा साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने के बाद ही, आयोग मूल प्रमाण पत्रों के संदर्भ में पात्रता शर्तों का सत्यापन करता है।

**2. आवेदन कैसे करें :**

उम्मीदवार **www.upsconline.nic.in** वेबसाइट का प्रयोग कर ऑनलाइन आवेदन करें। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए संक्षेप में अनुदेश परिशिष्ट-II में दिए गए हैं, विस्तृत अनुदेश उपर्युक्त वेबसाइट में उपलब्ध हैं।

**3. आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख :**

ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र **01 अप्रैल, 2016 रात्रि 11.59 बजे** तक भरे जा सकते हैं, जिसके पश्चात् लिंक निरूपयोज्य हो जाएगा।

**4. परीक्षा आरंभ होने के तीन सप्ताह पूर्व पात्र उम्मीदवारों को ई-प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। ई-प्रवेश पत्र संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट www.upsc.gov.in पर उपलब्ध होगा जिसे उम्मीदवारों द्वारा डाउनलोड किया जा सकता है। डाक द्वारा कोई प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरते समय सभी आवेदकों को वैध और सक्रिय ई-मेल आईडी प्रस्तुत करना अपेक्षित है क्योंकि आयोग उनसे संपर्क करने के लिए इलेक्ट्रानिक माध्यम का इस्तेमाल कर सकता है।**

**"सरकार ऐसे कार्यबल के लिए प्रयत्नशील है जिसमें पुरुष तथा महिला उम्मीदवारो की संख्या में संतुलन बना रहे तथा महिला उम्मीदवारो को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।"**

**5. गलत उत्तरों के लिये दंड :**

अभ्यर्थी नोट कर लें कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों में उम्मीदवार द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के लिए दंड **(नेगेटिव मार्किंग)** दिया जाएगा।

**6.** सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा के दो वस्तुनिष्ठ पेपरों की लिखित परीक्षा कंप्यूटर आधारित प्रणाली द्वारा आयोजित की जाएगी। कंप्यूटर आधारित इस परीक्षा का डेमो मॉडयूल ई-प्रवेश पत्र जारी करते समय संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट **www.upsc.gov.in** पर उपलब्ध होगा।

**7. उम्मीदवारों के मार्गदर्शन हेतु सुविधा काउंटर** :

उम्मीदवार अपने आवेदन प्रपत्र, उम्मीदवारी आदि से संबंधित किसी प्रकार के मार्गदर्शन/सूचना/स्पष्टीकरण के लिए कार्यदिवसों में 10.00 बजे और 5.00 बजे के मध्य तक आयोग परिसर के गेट 'सी' के पास संघ लोक सेवा आयोग के सुविधा काउंटर पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष सं. 011-23385271/011-23381125/011-23098543 पर संपर्क कर सकते हैं।

**8. मोबाइल फोन प्रतिबंधित**:

(क) जहां परीक्षा आयोजित की जा रही है, उस परिसर के अंदर मोबाइल फोन, ब्लूटूथ अथवा अन्य संचार यंत्रों की अनुमति नहीं है। इन अनुदेशों का कोई अतिलंघन होने पर भविष्य में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में प्रतिबंध सहित अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

(ख) उम्मीदवारों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि परीक्षा स्थल पर मोबाइल फोन, ब्लूटूथ अथवा अन्य कीमती/मूल्यवान वस्तुओं सहित उक्त प्रतिबंधित वस्तुएं साथ नहीं लाएं क्योंकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती है। इस संबंध में हुए किसी प्रकार के नुकसान के लिए आयोग जिम्मेवार नहीं होगा।

**उम्मीदवार केवल www.upsconline.nic.in वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें।**
**किसी दूसरे मोड द्वारा आवेदन करने की अनुमति नहीं है।**

**फा. सं. 14/1/2015 - प.1(ख) -** संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नीचे पैरा 2 में दी गई सेवाओं तथा पदों पर भर्ती के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) द्वारा दिनांक **05 मार्च, 2016** के भारत के राजपत्र में प्रकाशित नियमों के अनुसार दिनांक **12 जून, 2016** को एक सम्मिलित परीक्षा आयोजित की जाएगी।

**परीक्षा केन्द्र** : परीक्षा निम्नलिखित केन्द्रों पर आयोजित की जाएगी :

| | | |
|---|---|---|
| अगरतला | गंगटोक | पणजी (गोवा) |
| अहमदाबाद | हैदराबाद | पटना |
| आइज़ोल | इंफाल | पोर्ट ब्लेयर |
| इलाहाबाद | ईटानगर | रायपुर |
| बंगलौर | जयपुर | रांची |
| बरेली | जम्मू | संबलपुर |
| भोपाल | जोरहाट | शिलांग |
| चंडीगढ़ | कोच्चि | शिमला |
| चेन्नई | कोहिमा | श्रीनगर |
| कटक | कोलकाता | तिरुवनंतपुरम |
| देहरादून | लखनऊ | तिरुपति |
| दिल्ली | मदुरै | उदयपुर |
| धारवाड़ | मुम्बई | विशाखापटनम |
| दिसपुर | नागपुर | |

आवेदक यह नोट करें कि चेन्नई, दिल्ली, दिसपुर, कोलकाता और नागपुर केन्द्रों के सिवाय प्रत्येक केन्द्र पर आबंटित उम्मीदवारों की संख्या की अधिकतम सीमा निर्धारित होगी। केन्द्रों के आबंटन पहले आवेदन करो, पहले आबंटन पाओ पर आधारित होगा तथा यदि किसी विशोष केन्द्र की क्षमता पूरी हो जाती है तब वहां किसी आवेदन को कोई केन्द्र आबंटित नहीं किया जाएगा। जिन आवेदकों को निर्धारित सीमा की वजह से अपनी पसंद का केन्द्र नहीं मिलता है तब उन्हें शेष केन्द्रों में से एक केन्द्र का चयन करना होगा। अतएव आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे शीघ्र आवेदन करें जिससे उन्हें अपनी पसंद का केन्द्र मिले।

ध्यान दें: उपर्युक्त प्रावधान के बावजूद स्थिति के अनुसार आयोग के पास अपने विवेकानुसार केन्द्रों में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है।

जिन उम्मीदवारों को उक्त परीक्षा में प्रवेश दे दिया जाता है उन्हें समय-सारणी तथा परीक्षा स्थल (स्थलों) की जानकारी दे दी जाएगी।

उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि केन्द्र में परिवर्तन से सम्बद्ध अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

2. (क) जिन सेवाओं/पदों पर भर्ती की जानी है तथा भरी जाने वाली रिक्तियों की अनुमानित संख्या नीचे दी गई है।

| | | |
|---|---|---|
| (i) | रेलवे में सहायक प्रभागीय चिकित्सा अधिकारी | 600 |
| (ii) | भारतीय आयुध कारखाना स्वास्थ्य सेवा में सहायक चिकित्सा अधिकारी के पद | 46 |
| (iii) | केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में कनिष्ठ वेतनमान पद | 250 |
| (iv) | पूर्वी दिल्ली नगर निगम, उत्तरी दिल्ली नगर निगम तथा दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी ग्रेड-II | 97 |
| (v) | नई दिल्ली नगर पालिका परिषद में सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी | 16 |

इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा, 2016 में पी एच श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए चिन्हित सेवाओं/पदों का विवरण नीचे दिया गया है:-

(i) रेलवे में सहायक डिविजनल चिकित्सा अधिकारी के 18 पद चलने में असमर्थ अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से प्रभावित शारीरिक रूप से विकलांग उन उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं जो कार्यात्मक वर्गीकरण एक पैर प्रभावित (ओएल), एक हाथ प्रभावित (ओए) तथा दोनों पैर प्रभावित (बी एल) के अंतर्गत आते हैं।

(ii) भारतीय आयुध निर्माणी स्वास्थ्य सेवा में सहायक चिकित्सा अधिकारी का एक पद शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है जिनका कार्यात्मक वर्गीकरण ओए, ओएल है।

(iii) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में कनिष्ठ समयमान पदों की 3 (तीन) रिक्तियां शारीरिक रूप से अक्षम उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं अर्थात अस्थि विकलांग उम्मीदवार अर्थात् एक पैर (ओएल), एक हाथ (ओए) तथा दोनों पैर (बीएल) प्रभावित के लिए आरक्षित हैं।

(iv) पूर्वी दिल्ली नगर निगम/उत्तरी दिल्ली नगर निगम/दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी ग्रेड- II के 3 (तीन) पद चलने में असमर्थ/प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से प्रभावित शारीरिक रूप से विकलांग उन उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं जो कार्यात्मक वर्गीकरण एक हाथ प्रभावित (ओए) और एक पैर प्रभावित (ओएल) के अंतर्गत आते हैं।

(v) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद द्वारा सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी के पद के लिए कोई भी रिक्ति शारीरिक विकलांग श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित घोषित नहीं की गई है ।

**नोट : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अपने पत्र संख्या नं.12011/1/2016.सी एच एस - I दिनांक 10.02.2016 द्वारा यह सूचित किया है कि जहां दोनों पैर प्रभावित शारीरिक विकलांग उम्मीदवार के प्रकार्यात्मक वर्गीकरण का संबंध है, यह सूचित किया जाता है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने दोनों पैर प्रभावित उम्मीदवारों को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में चिकित्सा अधिकारी के पद हेतु छूट दिए जाने संबंधी मामले को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के साथ उठाया है। अतएव, दोनों पैर प्रभावित उम्मीदवारों के आवेदन पत्र पर सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा, 2016 हेतु विचार किया जा सकता है, परंतु उनकी भर्ती/चयन इस संबंध में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के निर्णय के परिणाम के अधीन होगा।**

उपरोक्त रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा शारीरिक रूप से अक्षम श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए सरकार द्वारा नियत की गई रिक्तियों के बारे में आरक्षण किया जाएगा।

किसी भी उम्मीदवार को समुदाय संबंधी आरक्षण का लाभ, उसकी जाति को केन्द्र सरकार द्वारा जारी आरक्षित समुदाय संबंधी सूची में शामिल किए जाने पर ही मिलेगा। यदि कोई उम्मीदवार सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा के अपने प्रपत्र में यह उल्लेख करता है कि वह सामान्य श्रेणी से संबंधित है लेकिन कालांतर में अपनी श्रेणी को आरक्षित सूची की श्रेणी में तब्दील करने के लिए आयोग को लिखता है, तो आयोग द्वारा ऐसे अनुरोध को किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

जबकि उपर्युक्त सिद्धांत का सामान्य रूप से पालन किया जाएगा, फिर भी कुछ ऐसे मामले हो सकते हैं, जिनमें किसी समुदाय विशेष को आरक्षित समुदायों की किसी भी सूची में शामिल करने के संबंध में सरकारी अधिसूचना जारी किए जाने और उम्मीदवार द्वारा आवेदन करने की तारीख के समय के बीच थोड़ा बहुत अंतर (अर्थात् 2-3 महीने) हुआ हो, ऐसे मामलों में, समुदाय को सामान्य से आरक्षित समुदाय में परिर्तित करने संबंधी अनुरोध पर आयोग द्वारा मेरिट के आधार पर विचार किया जाएगा।

"अजा, अजजा/अपिव/शावि/पूर्व सेनाकार्मिकों के लिए उपलब्ध आरक्षण/रियायत के लाभ के इच्छुक उम्मीदवार यह सुनिश्चित करें कि वे नियमावली/नोटिस में विहित पात्रता के अनुसार ऐसे आरक्षण/रियायत के हकदार हैं। उपर्युक्त लाभों/नोटिस से संबद्ध नियमावली में दिए गए अनुबंध के अनुसार उम्मीदवारों के पास अपने दावे के समर्थन में विहित प्रारूप में आवश्यक सभी प्रमाण पत्र मौजूद होने चाहिए तथा इन प्रमाण पत्रों पर आवेदन जमा करने की निर्धारित तारीख

(अंतिम तारीख) से पहले की तारीख अंकित होनी चाहिए।"

**2. (ख)**कोई उम्मीदवार उपर्युक्त पैरा 2 में उल्लिखित किसी एक या एक से अधिक सेवाओं/पदों के संबंध में परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकता है। उम्मीदवारों को उचित समय पर सेवाओं/पदों के लिए अपना वरीयता क्रम बताना होगा।

यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक सेवाओं/पदों के लिए परीक्षा में प्रवेश पाना चाहता है तो भी उसे एक ही आवेदन प्रपत्र भरने की आवश्यकता है। नीचे पैरा 4 में उल्लिखित शुल्क भी उसे केवल एक ही बार देना होगा। उस प्रत्येक सेवा/पद के लिए अलग-अलग नहीं, जिसके लिए वह आवेदन कर रहा है।

**3. पात्रता की शर्तें :**

**(I) राष्ट्रीयता :**

**उम्मीदवार को या तो :-**

(क) भारत का नागरिक होना चाहिए, या

(ख) नेपाल की प्रजा, या

(ग) भूटान की प्रजा, या

(घ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पहली जनवरी, 1962 से पहले भारत आ गया हो, या

(ङ) ऐसा भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका और कीनिया, उगांडा तथा संयुक्त गणराज्य तंजानिया, पूर्वी अफ्रीकी देशों से या जाम्बिया, मलावी, जैरे और इथियोपिया अथवा वियतनाम से आया हो।

परन्तु (ख), (ग), (घ) और (ङ) वर्गों के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवार के पास भारत सरकार द्वारा जारी किया गया पात्रता (एलिजीबिलिटी) प्रमाण पत्र होना चाहिए।

परीक्षा में ऐसे उम्मीदवार को भी, जिसके लिए पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, परीक्षा में बैठने दिया जा सकता है, परन्तु उसे नियुक्ति प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा आवश्यक प्रमाण-पत्र दिए जाने पर ही दिया जाएगा।

**(II) आयु - सीमा** :

(क) इस परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवार ने **पहली जनवरी, 2016** को 32 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो अर्थात् उम्मीदवार का जन्म **2 जनवरी, 1984** के पहले का नहीं होना चाहिए।

**(ख)** ऊपरी आयु-सीमा में निम्न प्रकार से छूट प्राप्त है :

**(i)** यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष तक।

**(ii)** अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित ऐसे उम्मीदवारों के मामले में अधिकतम तीन वर्ष तक, जो ऐसे उम्मीदवारों पर लागू आरक्षण प्राप्त करने के हकदार हैं।

**(iii)** ऐसे उम्मीदवारों के मामले में, जिन्होंने 01 जनवरी, 1980 से 31 दिसम्बर, 1989 तक की अवधि के दौरान साधारणतया जम्मू और कश्मीर राज्य में अधिवास किया हो, अधिकतम 5 वर्ष तक।

**(iv)** रक्षा सेवा के उन कर्मचारियों के मामले में अधिक से अधिक 3 वर्ष तक जो किसी अन्य देश के साथ संघर्ष के अथवा अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्रवाई के दौरान विकलांग हुए तथा उसके परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुए।

**(v)** जिन भूतपूर्व सैनिकों (कमीशन प्राप्त अधिकारियों तथा आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित) ने **पहली जनवरी, 2016** को कम से कम 5 वर्ष की सैनिक सेवा की है और जो (i) कदाचार या अक्षमता के आधार पर बर्खास्त न होकर अन्य कारणों से कार्यकाल के समापन पर कार्यमुक्त हुए हैं, (इनमें वे भी सम्मिलित हैं जिनका कार्यकाल **पहली जनवरी, 2016** से एक वर्ष के अंदर पूरा होना है) या (ii) सैनिक सेवा में हुई शारीरिक अपंगता, या (iii) अक्षमता के कारण कार्यमुक्त हुए हैं, उनके मामले में अधिक से अधिक 5 वर्ष तक।

**(vi)** आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा के कमीशन प्राप्त अधिकारियों के मामलों में अधिकतम 5 वर्षों तक जिन्होंने सैनिक सेवा के 5 वर्ष की प्रारंभिक अवधि **पहली जनवरी, 2016** तक पूरी कर ली है और जिनका कार्यकाल 5 वर्ष से आगे बढ़ाया गया है तथा जिनके मामले में रक्षा मंत्रालय को एक प्रमाणपत्र जारी करना होता है कि वे सिविल रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं और चयन होने पर नियुक्ति प्रस्ताव प्राप्त होने की तारीख से तीन माह के नोटिस पर उन्हें कार्यभार से मुक्त किया जाएगा।

**(vii)** नेत्रहीन, मूक-बधिर तथा विकलांग उम्मीदवारों के लिए अधिकतम 10

वर्षों तक।

**(viii)** रेलवे के कुछ तदर्थ डाक्टरों द्वारा दायर की गई रिट याचिकाओं (1986 की रिट याचिका सं. 845 के साथ और 1986 की ही रिट याचिका सं. 1165, 1328, 1619, 1735, 1275, 1457, 1087, 1034, 1263, 1294, 1327, 1349, 1370, 1353, 1400, 1451, 1504, 1564, 1650 तथा 1609 के साथ और 1987 की रिट याचिका सं. 73 के साथ तथा 1987 की रिट याचिका सं. 822, 875, 180 और 200 के साथ) के बारे में उच्चतम न्यायालय के दिनांक 24.9.1987 के आदेशों को ध्यान में रखते हुए रेल मंत्रालय में 1.10.1984 के बाद तदर्थ आधार पर नियुक्त डाक्टरों की आयु में रेलवे में तदर्थ डाक्टरों के रूप में उनके द्वारा की गई सेवा की समयावधि तक की छूट दी जाएगी। इस उपबंध के अंतर्गत ऊपरी आयु सीमा में छूट का दावा करने वाले तदर्थ डाक्टरों को रेल मंत्रालय से उनकी पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा और व्यक्तिगत परीक्षण/साक्षात्कार के लिए अर्हक घोषित किए गए उम्मीदवारों द्वारा विस्तृत आवेदन प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।

**टिप्पणी - 1 :** अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित वे उम्मीदवार, जो उपर्युक्त पैरा 3 (II)(ख) के किन्हीं अन्य खंडों अर्थात, जो भूतपूर्व सैनिकों, जम्मू तथा कश्मीर राज्य में अधिवास करने वाले व्यक्तियों, शारीरिक रूप से विकलांग आदि की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, दोनों श्रेणियों के अंतर्गत दी जाने वाली संचयी आयु सीमा-छूट प्राप्त करने के पात्र होंगे।

**टिप्पणी - 2 :** भूतपूर्व सैनिक शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होगा जिन्हें समय-समय पर यथासंशोधित भूतपूर्व सैनिक (सिविल सेवा और पद में पुन: रोजगार) नियम, 1979 के अधीन भूतपूर्व सैनिक के रूप में परिभाषित किया जाता है।

**टिप्पणी - 3 :** आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा के कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित वे भूतपूर्व सैनिक तथा कमीशन अधिकारी, जो स्वयं के अनुरोध पर सेवामुक्त हुए हैं, उन्हें उपर्युक्त पैरा 3 (II)(ख) (v) तथा (vi) के अधीन आयु सीमा में छूट नहीं दी जाएगी।

**टिप्पणी - 4 :** उपर्युक्त नियम 3 (II)(ख) (vii) के अंतर्गत आयु में छूट के बावजूद शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवार की नियुक्ति हेतु पात्रता पर तभी विचार किया जा सकता है जब वह (सरकार या नियोक्ता प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, द्वारा निर्धारित शारीरिक परीक्षण के बाद)

सरकार द्वारा शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों को आबंटित संबंधित सेवाओं/पदों के लिए निर्धारित शारीरिक एवं चिकित्सा मानकों की, अपेक्षाओं को पूरा करता हो।

**उपर्युक्त व्यवस्था को छोड़कर निर्धारित आयु-सीमा में किसी भी स्थिति में छूट नहीं दी जाएगी।**

आयोग जन्म की वह तारीख स्वीकार करता है जो मैट्रिकुलेशन, माध्यमिक विद्यालय छोड़ने के प्रमाण पत्र या किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा मैट्रिकुलेशन के समकक्ष माने गए प्रमाणपत्र या किसी विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित मैट्रिकुलेटों के रजिस्टर में दर्ज की गई हो और वह उद्धरण विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित हो या उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या उसकी समकक्ष परीक्षा प्रमाण पत्र में दर्ज हो। ये प्रमाण पत्र परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम की घोषणा के बाद प्रस्तुत करने हैं।

आयु के संबंध में अन्य दस्तावेज जैसे जन्म कुंडली, शपथपत्र, नगर निगम से और सेवा अभिलेख से प्राप्त जन्म संबंधी उद्धरण तथा अन्य ऐसे ही प्रमाण स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अनुदेशों के इस भाग में आए हुए "मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माधयमिक परीक्षा प्रमाण पत्र" वाक्यांश के अंतर्गत उपयुक्त वैकल्पिक प्रमाणपत्र सम्मिलित हैं।

**टिप्पणी-1** : उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि आयोग जन्म की उसी तारीख को स्वीकार करेगा जो कि आवेदन-प्रपत्र प्रस्तुत करने की तिथि को मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाणपत्र या समकक्ष परीक्षा के प्रमाणपत्र में दर्ज है और इसके बाद उसमें परिवर्तन के किसी अनुरोध पर न तो विचार किया जाएगा न उसे स्वीकार किया जाएगा।

**टिप्पणी-2 :** उम्मीदवार यह भी ध्यान रखें कि उनके द्वारा परीक्षा में प्रवेश के लिए जन्म की तारीख एक बार घोषित कर देने और आयोग द्वारा उसे अपने अभिलेख में दर्ज कर लेने के बाद उसमें बाद में (या बाद की किसी अन्य परीक्षा में) परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

**टिप्पणी-3 :** उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन-प्रपत्र के संबंधित कालम में जन्म तिथि भरते समय उचित सावधानी बरतनी चाहिए। यदि बाद की किसी अवस्था में, जांच के दौरान उनके द्वारा भरी गई जन्म तिथि की उनके मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण-पत्र में दी गई जन्म तिथि से कोई भिन्नता पाई गई तो आयोग द्वारा उनके विरुद्ध नियम के अधीन अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

**(III) शैक्षिक योग्यताएं :**

उक्त परीक्षा में प्रवेश के लिए उम्मीदवार फाइनल एमबीबीएस परीक्षा के लिखित या प्रायोगिक भागों में उत्तीर्ण हो।

**टिप्पणी-1 :** वह उम्मीदवार भी आवेदन कर सकता है जिसने फाइनल एमबीबीएस परीक्षा दे दी है या जिनको अभी देनी है। यदि ऐसे उम्मीदवार अन्यथा पात्र हुए तो उन्हें उक्त परीक्षा में प्रवेश दे दिया जाएगा, परन्तु उनका प्रवेश अनंतिम रहेगा तथा फाइनल एमबीबीएस परीक्षा के लिखित

तथा प्रायोगिक भागों को उत्तीर्ण करने का प्रमाण प्रस्तुत न करने की स्थिति में रद्द कर दिया जाएगा। उक्त प्रमाण विस्तृत आवेदन प्रपत्र के, जो उक्त परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम के आधार पर अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों द्वारा आयोग को प्रस्तुत करने पड़ेंगे, के साथ प्रस्तुत करना होगा।

**टिप्पणी-2 :** उक्त परीक्षा में प्रवेश के लिए वह उम्मीदवार भी शैक्षिक रूप से पात्र हैं जिसे अभी अनिवार्य रोटेटिंग इंटर्निशप पूरी करनी है, किंतु चयन हो जाने पर उन्हें अनिवार्य रोटेटिंग इंटर्नशिप पूरी करने के बाद ही नियुक्त किया जाएगा।

**(IV) शारीरिक तथा चिकित्सा मानक:**

उम्मीदवार को **सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा, 2016** के विनियम के परिशिष्ट-III में दिए शारीरिक/चिकित्सा मानकों के अनुरूप शारीरिक तथा चिकित्सा रूप से स्वस्थ होना चाहिए।

**4. शुल्क :**

(क) उम्मीदवारों को **200/- रुपए (केवल दो सौ रुपए)** फीस के रूप में (सभी महिला/अ.जा./अ.ज.जा./शारीरिक रूप से अक्षम उम्मीदवारों को छोड़कर जिन्हें कोई शुल्क नहीं देना होगा) या तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में नकद जमा करके या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर/स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद/स्टेट बैंक ऑफ मैसूर/स्टेट बैंक ऑफ पटियाला/स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर की नेट बैंकिंग सेवा का उपयोग करके या वीजा/मास्टर क्रेडिट/डेबिट कार्ड का उपयोग करके भुगतान करना होगा।

**टिप्पणी - 1 :** जो उम्मीदवार भुगतान के लिए नकद भुगतान प्रणाली का चयन करते हैं वे सिस्टम द्वारा सृजित (जनरेट) पे-इन-स्लिप को मुद्रित करें और अगले कार्य दिवस को ही भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की शाखा के काउंटर पर शुल्क जमा करवाएं। **"नकद भुगतान प्रणाली"** का विकल्प अंतिम तिथि से एक दिन पहले अर्थात् **31.03.2016 को रात्रि 23.59 बजे** निष्क्रिय हो जाएगा। तथापि, जो उम्मीदवार अपने पे-इन स्लिप का सृजन (जनरेशन) इसके निष्क्रिय होने से पहले कर लेते हैं, वे अंतिम तिथि को बैंक के कार्य समय के दौरान एसबीआई की शाखा में काउंटर पर नकद भुगतान कर सकते हैं। वे उम्मीदवार जो वैध पे-इन स्लिप होने के बावजूद किसी भी कारणवश अंतिम तिथि को बैंक के कार्य समय के दौरान एसबीआई की शाखा में नकद भुगतान करने में असमर्थ रहते हैं तो उनके पास कोई अन्य ऑफलाइन विकल्प उपलब्ध नहीं होगा लेकिन वे अंतिम तिथि अर्थात **01.04.2016 को 23.59 बजे** तक ऑनलाइन डेबिट/क्रेडिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग भुगतान के विकल्प का चयन कर सकते हैं।

**टिप्पणी - 2 :** उम्मीदवारों को नोट करना चाहिए कि शुल्क का भुगतान ऊपर निर्धारित माध्यम

से ही किया जा सकता है। किसी अन्य माध्यम से शुल्क का भुगतान न तो वैध है न स्वीकार्य है। अनिर्धारित माध्यम/शुल्क रहित आवेदन (शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त आवेदन को छोड़कर) एकदम अस्वीकृत कर दिए जाएंगे।

**टिप्पणी - 3 :** एक बार शुल्क अदा किए जाने पर वापस करने के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जा सकता है और न ही किसी दूसरी परीक्षा या चयन के लिए आरक्षित रखा जा सकता है।

**टिप्पणी - 4 :** जिन आवेदकों के मामले में बैंक से भुगतान संबंधी विवरण प्राप्त नहीं हुए होंगे उन्हें अवास्तविक भुगतान मामला समझा जाएगा और उनके आवेदन पत्र तुरंत अस्वीकृत कर दिए जाएंगे। ऐसे सभी आवेदकों की सूची ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के अंतिम दिन के बाद दो सप्ताह के भीतर आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कर दी जाएगी। आवेदकों को अपने शुल्क भुगतान का प्रमाण ऐसी सूचना की तारीख से 10 दिनों के भीतर दस्ती अथवा स्पीड पोस्ट के जरिए आयोग को भेजना होगा। दस्तावेज के रूप में प्रमाण प्राप्त होने पर, शुल्क भुगतान के वास्तविक मामलों पर विचार किया जाएगा और उनके आवेदन पत्र स्वीकार कर लिए जाएंगे, बशर्ते वे पात्र हों।

**सभी महिला उम्मीदवारों तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/शारीरिक रूप से विकलांग वर्गों से संबद्ध उम्मीदवारों को शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त है। तथापि, अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को शुल्क में छूट प्राप्त नहीं है तथा उन्हें निर्धारित पूर्ण शुल्क का भुगतान करना होगा।**

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को शुल्क के भुगतान से छूट है बशर्ते कि वे इन सेवाओं/पदों के लिए चिकित्सा आरोग्यता (शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को दी गई किसी अन्य विशेष छूट सहित) के मानकों के अनुसार इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर भरी जाने वाली सेवाओं/पदों पर नियुक्ति हेतु अन्यथा रूप से पात्र हों। शुल्क/आयु सीमा में छूट का दावा करने वाले शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति को अपने विस्तृत आवेदन प्रपत्र के साथ अपने शारीरिक रूप से विकलांग होने के दावे के समर्थन में, सरकारी अस्पताल/चिकित्सा बोर्ड से प्राप्त प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

**टिप्पणी :** शुल्क/आयु सीमा में छूट के उपर्युक्त प्रावधान के बावजूद शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवार को नियुक्ति हेतु तभी पात्र माना जाएगा जब वह (सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, द्वारा निर्धारित ऐसी किसी शारीरिक जांच के बाद) सरकार द्वारा शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवार को आबंटित की जाने वाली संबंधित सेवाओं/पदों के लिए शारीरिक

और चिकित्सा मानकों की अपेक्षाओं को पूरा करता हो।

**ध्यान दें** : जिन आवेदन-प्रपत्रों के साथ निर्धारित शुल्क संलग्न नहीं होगा (शुल्क माफी के दावे को छोड़कर), उनको एकदम अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

**5. आवेदन कैसे करें :**

**(क)** उम्मीदवार **www.upsconline.nic.in** वेबसाइट का प्रयोग कर **ऑनलाइन** आवेदन करें। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत निर्देश उपर्युक्त वेबसाइट में उपलब्ध हैं।

आवेदकों को केवल एक ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का परामर्श दिया जाता है। तथापि, किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश यदि वह एक से अधिक आवेदन पत्र प्रस्तुत करता/करती है, वह यह सुनिश्चित कर लें कि उच्च आरआईडी वाला आवेदन पत्र हर तरह अर्थात् आवेदक का विवरण, परीक्षा केन्द्र, फोटो, हस्ताक्षर, शुल्क आदि से पूर्ण है। एक से अधिक आवेदन पत्र भेजने वाले उम्मीदवार यह नोट कर लें कि केवल उच्च आरआईडी (रजिस्ट्रेशन आईडी) वाले आवेदन पत्र ही आयोग द्वारा स्वीकार किए जाएंगे और एक आरआईडी के लिए अदा किए गए शुल्क का समायोजन किसी अन्य आरआईडी के लिए नहीं किया जाएगा।

**(ख)** सभी उम्मीदवारों को चाहे वे पहले से सरकारी नौकरी में हों या सरकारी औद्योगिक उपक्रमों में हों या इसी प्रकार के अन्य संगठनों में हों या गैर-सरकारी संस्थाओं में नियुक्त हों, अपने आवेदन आयोग को सीधे ऑनलाइन करना चाहिए।

जो व्यक्ति पहले से सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहें हों या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हों, जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त व्यक्ति शामिल नहीं हैं, या जो सार्वजनिक उद्यमों में सेवा कर रहे हैं, उनको यह परिवचन (अण्डरटेकिंग) प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है।

उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने/परीक्षा में बैठने से सम्बद्ध अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन प्रपत्र अस्वीकृत/उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जा सकती है।

**टिप्पणी-I :** उम्मीदवार को अपने ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में परीक्षा के लिए केन्द्र का नाम भरते समय सावधानी पूर्वक निर्णय लेना चाहिए। यदि कोई उम्मीदवार आयोग द्वारा प्रेषित प्रवेश प्रमाण पत्र में दर्शाए गए केन्द्र से इतर केन्द्र में बैठता है तो उस उम्मीदवार के प्रश्न पत्रों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा तथा उसकी उम्मीदवारी भी रद्द की जा सकती है।

**टिप्पणी-II :** अधूरे या गलत भरे आवेदन प्रपत्रों को एकदम अस्वीकृत कर दिया जाएगा और किसी भी अवस्था में अस्वीकृति के संबंध में अभ्यावेदन या पत्र व्यवहार को स्वीकार नहीं किया

जाएगा। उम्मीदवारों को अपने ऑनलाइन आवेदन प्रपत्रों के प्रिंट की प्रति आयोग को अभी भेजने की आवश्यकता नहीं है। **परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश के लिए सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। आयोग ने जिस परीक्षा के लिए उन्हें प्रवेश दिया है उसके प्रत्येक स्तर, कंप्यूटर आधारित परीक्षा तथा साक्षात्कार परीक्षण स्तर पर उनका प्रश पूर्णत: अनंतिम होगा बशर्ते कि वे निर्धारित पात्रता की शर्तों को पूरा करते हों। यदि कंप्यूटर आधारित परीक्षा या साक्षात्कार परीक्षण के पूर्व या बाद में सत्यापन करने पर यह पाया जाता है कि वे किसी पात्रता शर्त को पूरा नहीं करते हैं तो आयोग द्वारा परीक्षा के लिए उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।** उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे उक्त कंप्यूटर आधारित परीक्षा का परिणाम जिसके **सितम्बर/अक्तूबर, 2016** में घोषित किए जाने की संभावना है, घोषित होने के बाद आयोग को जल्दी प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित प्रलेखों की स्वप्रमाणित प्रतियां तैयार रखें:

1. आयु का प्रमाण-पत्र।
2. शैक्षिक योग्यता का प्रमाण-पत्र।
3. जहां लागू हो, वहां अ.जा., अ.ज.जा. तथा अन्य पिछड़ी श्रेणियों का होने के दावे के समर्थन में प्रमाण-पत्र।
4. जहां लागू हो, वहां आयु/शुल्क में छूट के दावे के समर्थन में प्रमाण-पत्र।
5. जहां लागू हो, शारीरिक रूप से विकलांगता के समर्थन में प्रमाण-पत्र।
6. आयु में छूट के लिए रेलवे मंत्रालय के तदर्थ डॉक्टरों के रेलवे मंत्रालय द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र (नोटिस के पैरा 3(II)(ख)(viii) का अवलोकन करें)।

परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम की घोषणा के तत्काल बाद आयोग सफल उम्मीदवारों से इलेक्ट्रानिक माध्यम से सूचित करेगा और उनसे ऑनलाइन विस्तृत आवेदन प्रपत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा। सफल उम्मीदवारों को उस समय उपर्युक्त प्रमाण पत्रों की स्व प्रमाणित प्रतियों के साथ इस विस्तृत आवेदन प्रपत्रों को इसके प्रिंटआउट के प्रत्येक पृष्ठ पर विधिवत हस्ताक्षर करके आयोग को भेजना होगा। साक्षात्कार के समय मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। उम्मीदवारों को साक्षात्कार पत्र इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जारी किए जाएंगे।

यदि उनके द्वारा किए गए दावे सही नहीं पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ आयोग द्वारा सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा, 2016 की नियमावली के नियम 11 जो पुन: उद्धरित है, के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है :-

आयोग ने जिस उम्मीदवार को दोषी पाया अथवा घोषित किया हो :

(i) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी का समर्थन प्राप्त किया है, अथवा

(ii) नाम बदल कर परीक्षा दी है, अथवा

(iii) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप से कार्यसाधन कराया है, अथवा

(iv) जाली प्रमाण पत्र या ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए हैं जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा गया हो, अथवा

(v) गलत या झूठे वक्तव्य दिए गए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा

(vi) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया है, अथवा

(vii) परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, या

(viii) परीक्षा भवन में और किसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया हो, या

(ix) परीक्षा चलाने के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, या

(x) परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन या किसी अन्य प्रकार का इलैक्ट्रॉनिक उपकरण या यंत्र अथवा संचार यंत्र के रूप में प्रयोग करते हुए या अपने पास रखे पाया गया हो, या

(xi) परीक्षा की अनुमति देते हुए उम्मीदवारों को भेजे गए ई-प्रवेश पत्र के साथ जारी अनुदेशों का उल्लंघन किया हो, अथवा

(xii) उपर्युक्त खंडों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य के द्वारा आयोग को अवप्रेरित करने का प्रयत्न किया हो तो उस पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रोसीक्यूशन) चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे :

(क) आयोग द्वारा उस परीक्षा से जिसका वह उम्मीदवार है, बैठने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है तथा/अथवा

(ख) उसे अस्थाई रूप से अथवा किसी भी परीक्षा अथवा एक विशेष अवधि के लिए

(i) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए।

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से वारित किया जा सकता है, और

(ग) अगर वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरूद्ध

उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।

किंतु शर्त यह है कि इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक :

(i) उम्मीदवार को इस संबंध में लिखित अभ्यावेदन जो वह देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर न दिया गया हो, और

(ii) उम्मीदवार द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार न कर लिया गया हो।

**6. आवेदन करने की अंतिम तारीख :**

ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र **01 अप्रैल, 2016 रात्रि 11.59 बजे** तक भरे जा सकते हैं जिसके बाद लिंक निरुप्योज्य हो जाएगा।

**7. आयोग के साथ पत्र-व्यवहार :**

निम्नलिखित मामलों को छोड़कर आयोग अन्य किसी भी मामले में उम्मीदवार के साथ पत्र-व्यवहार नहीं करेगा।

(i) पात्र उम्मीदवारों को परीक्षा प्रारंभ होने के तीन सप्ताह पूर्व ई-प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। ई-प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट **www.upsc.gov.in** पर उपलब्ध होगा, जिसे उम्मीदवार डाउनलोड कर सकते हैं। डाक द्वारा कोई प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। **ई-प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार के पास उसके महत्वपूर्ण विवरण अर्थात् आर.आई.डी. तथा जन्म तिथि अथवा अनुक्रमांक (यदि प्राप्त हुआ हो) तथा जन्म तिथि अथवा नाम, पिता का नाम तथा जन्म तिथि उपलब्ध होने चाहिए। यदि किसी उम्मीदवार को परीक्षा प्रारंभ होने से तीन सप्ताह पूर्व ई-प्रवेश पत्र अथवा उसकी उम्मीदवारी से संबद्ध कोई अन्य सूचना न मिले तो उसे आयोग से तत्काल संपर्क करना चाहिए।**

इस संबंध में जानकारी आयोग परिसर में स्थित सुविधा काउन्टर पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष संख्या 011-23385271/011-23381125/011-23098543 से भी प्राप्त की जा सकती है।

**यदि किसी उम्मीदवार से ई-प्रवेश पत्र प्राप्त न होने के संबंध में कोई सूचना आयोग कार्यालय में परीक्षा प्रारंभ होने से कम से कम दो सप्ताह पूर्व तक प्राप्त नहीं होती है तो ई-प्रवेश पत्र प्राप्त न होने के लिए वह स्वयं ही जिम्मेदार होगा।**

सामान्यत: किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में प्रवेश पत्र के बिना बैठने की अनुमति

नहीं दी जाएगी। ई-प्रवेश पत्र प्राप्त होने पर इसकी सावधानीपूर्वक जांच कर लें तथा किसी प्रकार की विसंगति/त्रुटि होने पर आयोग को तुरंत इसकी जानकारी दें।

**उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि परीक्षा में उनका प्रवेश उनके द्वारा आवेदन प्रपत्र में दी गई जानकारी के आधार पर अनंतिम रहेगा। यह आयोग द्वारा पात्रता की शर्तों के सत्यापन के अध्यधीन होगा।**

**केवल इस तथ्य का कि किसी उम्मीदवार को उक्त परीक्षा के लिए ई-प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है, यह अर्थ नहीं होगा कि आयोग द्वारा उसकी उम्मीदवारी अंतिम रूप से ठीक मान ली गई है या कि उम्मीदवार द्वारा अपने परीक्षा के आवेदन प्रपत्र में की गई प्रविष्टियां आयोग द्वारा सही और ठीक मान ली गई हैं।**

**उम्मीदवार ध्यान रखें कि आयोग उम्मीदवार के लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर व्यक्तित्व परीक्षण हेतु साक्षात्कार के लिए अर्हता प्राप्त कर लेने के बाद ही उनकी पात्रता की शर्तों का मूल प्रलेखों से सत्यापन का मामला उठाता है। आयोग द्वारा औपचारिक रूप से उम्मीदवारी की पुष्टि कर दिए जाने तक उम्मीदवारी अनंतिम रहेगी।**

उम्मीदवार के आवेदन प्रपत्र की स्वीकार करने तथा उसकी पात्रता या अपात्रता के बारे में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

उम्मीदवार ध्यान रखें कि ई-प्रवेश पत्र में कहीं-कहीं नाम तकनीकी कारणों से संक्षिप्त रूप में लिखे जा सकते हैं।

(ii) उम्मीदवार को आयोग की वेबसाइट से एक से अधिक ई-प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की स्थिति में परीक्षा देने के लिए, उनमें से केवल एक ही ई-प्रवेश पत्र का उपयोग करना चाहिए तथा अन्य की जानकारी आयोग को देनी चाहिए।

(iii) सभी आवेदकों से अनुरोध है कि वे ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरते समय वैध और सक्रिय ई-मेल आईडी प्रस्तुत करें क्योंकि आयोग उनसे संपर्क करने के लिए इलेक्ट्रानिक माध्यम का इस्तेमाल कर सकता है।

(iv) उम्मीदवार को इस बात की व्यवस्था कर लेनी चाहिए किउसके आवेदन प्रपत्र में उल्लिखित पते पर भेजे गए पत्र आदि आवश्यक होने पर उसको बदले हुए पते पर मिल जया करें। पते में किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर आयोग को उसकी सूचना यथाशीघ्र दी जानी चाहिए। आयोग ऐसे परिवर्तनों पर ध्यान देने का पूरा-पूरा प्रयत्न करता है, किन्तु इस विषय में यह कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं कर सकता।

(v) यदि उम्मीदवार को किसी दूसरे उम्मीदवार से संबंधित ई-प्रवेश पत्र मिल जाए तो उसे आयोग को तुरंत सही ई-प्रवेश पत्र जारी करने के लिए निवेदन करना चाहिए। उम्मीदवारों को यह नोट कर लेना चाहिए कि उन्हें किसी दूसरे उम्मीदवार को जारी ई-प्रवेश पत्र के आधार पर परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

**महत्वपूर्ण :** आयोग के साथ सभी पत्र-व्यवहार में नीचे लिखा ब्यौरा अनिवार्य रूप से होना चाहिए।

1. परीक्षा का नाम और वर्ष।
2. रजिस्ट्रेशन आईडी (आरआईडी)
3. अनुक्रमांक यदि प्राप्त हो चुका हो।
4. उम्मीदवार का नाम (पूरा तथा स्पष्ट अक्षरों में)।
5. आवेदन प्रपत्र में दिया गया डाक का पता।
6. वैध और सक्रिय ई-मेल आईडी।

**विशेष ध्यान दें: (i) जिन पत्रों में यह ब्यौरा नहीं होगा, संभव है कि उन पर ध्यान न दिया जाए।**

**विशेष ध्यान दें: (ii) यदि किसी उम्मीदवार से कोई पत्र/संप्रेषण, परीक्षा हो चुकने के बाद, प्राप्त होता है तथा उसमें उसका पूरा नाम, अनुक्रमांक नहीं है तो इस पर ध्यान न देते हुए कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।**

**विशेष ध्यान दें: (iii) उम्मीदवार को भविष्य के संदर्भों के लिए उनके ऑनलाइन आवेदन पत्र का एक प्रिंट आउट या सॉफ्ट कॉपी अपने पास रखने का परामर्श दिया जाता है।**

**8.** शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को उनके लिए आरक्षित रिक्तियों पर विचार किए जाने के लिए उनकी अक्षमता चालीस प्रतिशत (40%) या उससे अधिक होनी चाहिए। तथापि, ऐसे उम्मीदवारों से निम्नलिखित शारीरिक अपेक्षाओं/क्षमताओं में से एक या अधिक जो संबंधित सेवाओं/पदों में कार्य निष्पादन हेतु आवश्यक हो, पूरी करने की अपेक्षा की जाएगी। कार्यात्मक वर्गीकरण, संबंधित सेवाओं/पदों की आवश्यकताओं के अनुरूप होगा।

| **कोड** | | **शारीरिक अपेक्षाएं** |
|---|---|---|
| एफ (F) | 1. | हस्तकौशल (अंगुलियों से) द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कार्य। |
| पीपी (PP) | 2. | खींच कर तथा धक्के द्वारा किए जाने वाले कार्य। |

| | | |
|---|---|---|
| एल (L) | 3. | उठाकर किए जाने वाले कार्य। |
| केसी (KC) | 4. | घुटने के बल बैठकर तथा क्राउचिंग द्वारा किए जाने वाले कार्य। |
| बी (B) | 5. | झुककर किए जाने वाले कार्य। |
| एस (S) | 6. | बैठकर (बेंच या कुर्सी पर) किए जाने वाले कार्य। |
| एसटी (ST) | 7. | खड़े होकर किए जाने वाले कार्य। |
| डब्ल्यू (W) | 8. | चलते हुए किए जाने वाले कार्य। |
| एसई (SE) | 9. | देखकर किए जाने वाले कार्य। |
| एच (H) | 10. | सुनकर/बोलकर किए जाने वाले कार्य। |
| आरडब्ल्यू (RW) | 11. | पढ़कर तथा लिखकर किए जाने वाले कार्य। |

**कार्यात्मक वर्गीकरण**

| **कोड** | | **कार्य** |
|---|---|---|
| बीएल (BL) | 1. | दोनों पैर खराब लेकिन भुजाएं नहीं। |
| बीए (BA) | 2. | दोनों भुजाएं खराब<br>क. दुर्बल पहुंच<br>ख. पकड़ की दुर्बलता |
| बीएलए (BLA) | 3. | दोनों पैर तथा दोनों भुजाएं खराब। |
| ओएल (OL) | 4. | एक पैर खराब (दायां या बायां)<br>क. दुर्बल पहुंच<br>ख. पकड़ की दुर्बलता<br>ग. एटेक्सिक |
| ओए (OA) | 5. | एक भुजा खराब (दाईं या बाईं)<br>क. दुर्बल पहुंच<br>ख. पकड़ की दुर्बलता<br>ग. एटेक्सिक |
| बीएच (BH) | 6. | सख्त पीठ तथा कूल्हे<br>(बैठ या झुक नहीं सकते) |
| एमडब्लयू (MW) | 7. | मांसपेशीय दुर्बलता या सीमित शारीरिक सहनशक्ति। |

| | | |
|---|---|---|
| बी (B) | 8. | दृष्टिहीन |
| पीबी (PB) | 9. | आंशिक दृष्टि हीन |
| डी (D) | 10. | बधिर |
| पीडी (PD) | 11. | आंशिक बधिर |

**9. आवेदन प्रपत्रों की वापसी :**

आवेदन प्रपत्र प्रस्तुत करने के बाद उम्मीदवारी की वापसी के लिए उम्मीदवार से किसी प्रकार के अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।

**10.** परीक्षा में बैठे उम्मीदवारों को वैयक्तिक रूप से परीक्षा परिणाम किस प्रकार और किस रूप में सूचित किया जाए, इसका निर्णय आयोग स्वयं अपने विवेक से करेगा और परीक्षा परिणाम के संबंध में आयोग उनके साथ कोई पत्र व्यवहार नहीं करेगा।

**11.** इस नोटिस के उपबंधों के अधीन सफलता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की नियुक्ति पर आयोग द्वारा उनकी योग्यता के क्रम से तैयार की गई सूची और उनके द्वारा अपने आवेदन प्रपत्रों में विभिन्न पदों के लिए बताई गई वरीयता के आधार पर विचार किया जाएगा।

**12.** परीक्षा में सफल होने मात्र से नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता जब तक आवश्यक पूछताछ के बाद सरकार इस बात से संतुष्ट न हो कि उम्मीदवार अपने चरित्र और पूर्ववृत के आधार पर उक्त सेवा में नियुक्ति के लिए सर्वथा उपयुक्त है। उम्मीदवार की नियुक्ति के लिए यह भी एक शर्त होगी कि उसके अनिवार्य रोटेटिंग इन्टर्नशिप सफलतापूर्वक पूरी कर लेने के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी संतुष्ट हों।

**13.** उम्मीदवार को मन और शरीर से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें ऐसी कोई शारीरिक कमी नहीं होनी चाहिए जो उक्त सेवा के अधिकारी के रूप में कार्य करने में बाधक सिद्ध हो सके। सरकारी या नियोक्ता प्राधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा निर्धारित इस प्रकार की शारीरिक परीक्षा में जो उम्मीदवार इन अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं कर पाता है उसकी नियुक्ति नहीं होगी।

**14. कोई भी व्यक्ति :**

(क) जो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ वैवाहिक संबंध बना लेता है या इस संबंध में करार कर लेता है जिसका कोई पति या पत्नी जीवित है, या

(ख) पति या पत्नी के जीवित होते हुए किसी दूसरे व्यक्ति से वैवाहिक संबंध बना लेता है या इस संबंध में कोई करार कर लेता है,

इस सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि इस प्रकार का विवाह उस व्यक्ति और विवाह से संबद्ध दूसरे व्यक्ति पर लागू वैयक्तिक कानून के अनुसार स्वीकार्य है और ऐसा करने के और भी आधार मौजूद हैं तो किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

**15.** (क) परीक्षा की योजना एवं पाठ्यक्रम (ख) आवेदन प्रपत्र भरने संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत, (ग) वस्तुपरक परीक्षाओं हेतु उम्मीदवारों को विशेष निर्देश, (घ) जिन सेवा के लिए भर्ती की जा रही है, उनका संक्षिप्त विवरण, के विषय में जानकारी क्रमश: परिशिष्ट - I, II, III व IV में दी गई है।

**(ओम प्रकाश)**
**अवर सचिव**
**संघ लोक सेवा आयोग**

## परिशिष्ट-I

## परीक्षा की योजना

### खण्ड-I

परीक्षा निम्नलिखित योजना के अनुसार आयोजित की जाएगी।

### भाग-I

**कंप्यूटर आधारित परीक्षा: (500 अंक) :**

अभ्यर्थियों के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा में दो प्रश्नपत्र होंगे और प्रत्येक प्रश्नपत्र के लिए अधिकतम 250 अंक होंगे और प्रत्येक प्रश्नपत्र दो घंटों की अवधि का होगा ।

### भाग-II

**व्यक्तित्व परीक्षण: (100 अंक) :**

जो उम्मीदवार कंप्यूटर आधारित परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर लेते हैं उनका व्यक्तित्व परीक्षण 100 अंकों का होगा।

**(क) कंप्यूटर आधारित परीक्षा :**

1. दोनों प्रश्नपत्रों के भाग और पाठ्यक्रम तथा दोनों प्रश्नपत्रों में विभिन्न भागों का परिणाम नीचे दिया गया है :

**प्रश्न पत्र-I** (कोड नं. 1) **अधिकतम अंक : 250**

| | | |
|---|---|---|
| (क) | सामान्य योग्यता | 30 प्रश्न |
| (ख) | सामान्य आयुर्विज्ञान | 70 प्रश्न |
| (ग) | बालरोग विज्ञान | 20 प्रश्न |

प्रश्न पत्र-I में कुल प्रश्न - 120 (30 सामान्य योग्यता, 70 सामान्य आयुर्विज्ञान तथा 20 बालरोग विज्ञान)

**ऐसे उम्मीदवार जो चलने में असमर्थ हैं तथा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित हैं और जहां उनकी असमर्थता उनकी कार्य-निष्पादन क्षमता (लेखन) (न्यूनतम 40% अक्षमता) को प्रभावित करती है, उन्हें सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा, 2016 में प्रत्येक घंटे में 20 मिनट का प्रतिकर समय दिया जाएगा।**

**प्रश्न पत्र - I का पाठ्यक्रम**

**(क) सामान्य योग्यता**

(i) भारतीय समाज, धरोहर (हेरिटेज) एवं संस्कृति, राज्यव्यवस्था, अर्थव्यवस्था मानव विकास सूचकांक तथा विकास कार्यक्रम।

(ii) प्राकृतिक संसाधन, उनका वितरण शोषण, संरक्षण तथा संबंधित मुद्दे;

(iii) पारिस्थितिकी और पर्यावरण की मूल संकल्पनाएं तथा स्वास्थ्य एवं अर्थव्यवस्था पर उनका प्रभाव;

(iv) बदलती हुई जनंकिकीय प्रवृतियों का स्वास्थ्य, पर्यावरण तथा समाज पर प्रभाव;

(v) भारतीय कृषि, उद्योग, व्यापार, परिवहन तथा सेवा क्षेत्र

(vi) प्राकृतिक तथा मनुष्यकृत प्रकोप तथा उनका प्रबंधन

(vii) खाद्य पदार्थों में मिलावट, खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य वितरण, खाद्य भंडारण तथा लोक स्वास्थ्य में उनकी प्रासंगिकता।

(viii) विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में अभिनव प्रवृतियां।

**(ख) सामान्य आयुर्विज्ञान**

(सामान्य आयुर्विज्ञान जिसमें हृदय रोग विज्ञान, तंत्रिका विज्ञान, त्वचा रोग विज्ञान तथा मनोरोग विज्ञान शामिल है)

(i) हृदय रोग विज्ञान

(ii) श्वसन रोग

(iii) जठरांत्र

(iv) जनन - मूत्रीय

(v) तंत्रिका विज्ञान

(vi) रूधिर रोग विज्ञान

(vii) अंत: स्त्राविकी

(viii) चयापचयी विकार

(ix) संक्रमण/संचारी रोग

(क) विषाणुज

(ख) सूखा रोग

(ग) जीवाणुज

(घ) तंरगाणुज (स्पपाईचोरीटल)

(ड.) प्रोटोजोआ जनित

(च) उत्तर-जंतु (मेटाजोआन) जनित

(छ) कवक

(x) पोषण/वृद्धि

(xi) चर्म रोग (त्वचा रोग विज्ञान)

(xii) पेशी कंकाल तंत्र

(xiii) मनोरोग चिकित्सा

(xiv) सामान्य

**(ग) बालरोग विज्ञान**

**प्रश्न पत्र-II** (कोड नं. 2) **अधिकतम अंक : 250**

(क) शल्य चिकित्सा 40 प्रश्न

(ख) प्रसूति विज्ञान तथा स्त्री रोग विज्ञान 40 प्रश्न

(ग) निवारक तथा सामाजिक आयुर्विज्ञान 40 प्रश्न

**प्रश्नपत्र-II** में कुल प्रश्न = 120 (40 शल्य चिकित्सा, 40 प्रसूति विज्ञान तथा स्त्री रोग विज्ञान, 40 निवारक तथा सामाजिक आयुर्विज्ञान)

**प्रश्न पत्र-II का पाठ्यक्रम**

**(क) शल्य चिकित्सा**

**(शल्य चिकित्सा जिसमें कान नाक गला, नेत्ररोग विज्ञान, अभिघात विज्ञान और अस्थिरोग विज्ञान शामिल है)**

I. **सामान्य शल्य चिकित्सा**

(i) घाव

(ii) संक्रमण

(iii) अर्बुद

(iv) लस वाहिका

(v) रक्त वाहिका

(vi) गांठ/शिरानाल

(vii) सिर और गर्दन

(viii) वक्ष

(ix) पोषण नाल

(क) ग्रासनली

(ख) उदर

(ग) आंत

(घ) मलद्वार

(ड.) विकासात्मक

(x) यकृत, पित्त, अग्न्याशय

(xi) तिल्ली

(xii) पर्युदर्या

(xiii) उदरीय मिति

(xiv) उदरीय घात

**II. मूत्ररोग शल्यचिकित्सा**

**III. तंत्रिका शल्यचिकित्सा**

**IV. कान-नाक-गला विज्ञान**

**V. वक्ष शल्य चिकित्सा**

**VI. अस्थि रोग शल्य चिकित्सा**

**VII. नेत्र रोग विज्ञान**

**VIII. संवेदनाहरण विज्ञान**

**IX. अभिघात विज्ञान**

**(ख) प्रसूति विज्ञान तथा स्त्री रोग विज्ञान**

**I. प्रसूति विज्ञान**

(i) प्रसवपूर्ण अवस्थाएं

(ii) प्रसवकालीन अवस्थाएं

(iii) प्रसवोत्तर अवस्थाएं

(iv) सामान्य प्रसव या जटिल प्रसव का प्रबंधन

**II. स्त्री रोग विज्ञान**

(i) अनुप्रयुक्त शारीरिक(शरीर रचना विज्ञान) के बारे में प्रश्न

(ii) रजोधर्म तथा गर्भाधान के अनुप्रयुक्त क्रिया विज्ञान के बारे में प्रश्न

(iii) जननांग पथ संक्रमण के बारे में प्रश्न

(iv) जननांग पथ में नियोलाभा के प्रश्न

(v) गर्भाशय विस्थापन के बारे में प्रश्न

**III. परिवार नियोजन**

(i) परम्परागत गर्भ निरोधक

(ii) यू.डी. और खाने की गोलियां

(iii) शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में शल्य कर्म प्रक्रिया, बंध्यताकरण और कार्यक्रम आयोजन

(iv) चिकित्सीय गर्भपात

**(ग) निवारक सामाजिक तथा सामुदायिक आयुर्विज्ञान**

I. सामाजिक तथा सामुदायिक आयुर्विज्ञान

II. स्वास्थ्य रोग और निवारक आयुर्विज्ञान की संकल्पना

III. स्वास्थ्य प्रबंधन तथा योजना

IV. सामान्य जानपादिक रोग विज्ञान

V. जनांकिकी और स्वास्थ्य आंकड़े

VI. संचारी रोग

VII. पर्यावरणीय स्वास्थ्य

VIII. पोषण तथा स्वास्थ्य

IX. गैर संचारी रोग

X. व्यावसायिक स्वास्थ्य

XI. आनुवंशिकी तथा स्वास्थ्य

XII. अन्तरर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य

XIII. चिकित्सीय समाज विज्ञान तथा स्वास्थ्य शिक्षा

XIV. मातृत्व तथा बाल स्वास्थ्य

XV. राष्ट्रीय कार्यक्रम

2. दोनों प्रश्न पत्रों की कंप्यूटर आधारित परीक्षा पूर्णत: वस्तुनिष्ठ (बहुविकल्पीय उत्तरों सहित) स्वरूप की होगी । प्रश्न पत्र केवल अंग्रेजी में तैयार किए जाएंगे।

3. उम्मीदवार पेपर स्वयं मार्क करें, किसी भी परिस्थिति में उत्तरों की प्रविष्टि करने हेतु उन्हें स्क्राइब की सहायता लेने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।

4. परीक्षा के किसी एक या दोनों प्रश्नपत्रों में अर्हक अंकों का निर्धारण आयोग का विवेकाधिकार होगा।

5. **गलत उत्तरों के लिए दंड**

**वस्तुपरक प्रश्न-पत्र में अभ्यर्थी द्वारा गलत उत्तर अंकित किए जाने पर दंडस्वरूप ऋणात्मक अंक दिए जाएंगे।**

(i) प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए चार विकल्प हैं, यदि एक प्रश्न का उत्तर अभ्यर्थी द्वारा गलत दिया जाता है तो उस प्रश्न के लिए निर्धारित अंकों में से **एक तिहाई** (0.33) अंक दंड स्वरूप काट लिए जाएंगे।

(ii) यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक उत्तर देता है तो उसे गलत उत्तर माना जाएगा चाहे दिया गया उत्तर ठीक ही क्यों न हो तथा उस प्रश्न के लिए भी दंड यथोपरि ही होगा।

(iii) यदि कोई प्रश्न खाली छोड़ दिया जाता है अर्थात अभ्यर्थी उसका कोई उत्तर नहीं देता है तो उस प्रश्न के लिए **दंड नहीं** दिया जाएगा।

6. वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नपत्रों में उत्तर देने के लिए उम्मीदवारों को कैलकुलेटर के प्रयोग की अनुमति नहीं है। अत: उनसे अपेक्षा है कि परीक्षा हॉल के अंदर कैलकुलेटर नहीं लाएं।

**(ख) व्यक्तित्व परीक्षण - 100 अंक**

जो उम्मीदवार कंप्यूटर आधारित परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर लेते हैं उन्हें संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण 100 अंकों का होगा।

व्यक्तित्व परीक्षण के लिए साक्षात्कार को उम्मीदवार के सामान्य ज्ञान तथा उनके अपने शैक्षिक क्षेत्र में उनकी योग्यता को आंकने के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा के पूरक के रूप में माना जाएगा। इससे व्यक्तित्व परीक्षण के स्वरूप में अभ्यर्थी की बौद्धिक जिज्ञासा, समामेलन की महत्वपूर्ण योग्यता, निर्णय संतुलन, मानसिक सतर्कता, सामाजिक संसक्ति की योग्यता, चारित्रिक सत्यनिष्ठा, पहलशक्ति, पहलशक्ति तथा नेतृत्व की क्षमता का आकलन भी किया जाएगा।

## परिशिष्ट-II

## ऑनलाइन आवेदन के लिए अनुदेश

उम्मीदवार को वेबसाइट **www.upsconline.nic.in** का उपयोग कर ऑनलाइन आवेदन करना अपेक्षित होगा। ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र की प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं:-

- ऑनलाइन आवेदनों को भरने के लिए विस्तृत अनुदेश उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
- उम्मीदवारों को ड्रॉप डाउन मेन्यू के माध्यम से उपर्युक्त साइट में उपलब्ध अनुदेशों के अनुसार दो चरणों अर्थात् भाग-I और भाग-II में निहित ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र को पूरा करना अपेक्षित होगा।
- उम्मीदवारों को 200/- रु. (केवल दो सौ रुपए) के शुल्क (अजा/अजजा/महिला/शारीरिक रूप से अक्षम उम्मीदवारों को छोड़कर जिन्हें शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त है) या तो भारतीय स्टेट बैंक की किसी शाखा में नकद जमा करके या भारतीय स्टेट बैंक/स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर/स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद/स्टेट बैंक ऑफ मैसूर/स्टेट बैंक ऑफ पटियाला/स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर की नेट बैंकिंग सुविधा का उपयोग करके या वीजा/मास्टर क्रेडिट/डेबिट कार्ड का उपयोग करके भुगतान करना अपेक्षित है।
- ऑनलाइन आवेदन भरना आरंभ करने से पहले उम्मीदवार को अपना फोटोग्राफ और हस्ताक्षर .जेपीजी प्रारूप में विधिवत रूप से इस प्रकार स्कैन करना है कि प्रत्येक 40 केबी से अधिक नहीं हो, लेकिन फोटोग्राफ के लिए आकार में 3 केबी से कम न हो और हस्ताक्षर के लिए 1 केबी से कम न हो।
- ऑनलाइन आवेदन (भाग-I और भाग-II) को **दिनांक 05 मार्च, 2016 से 01 अप्रैल, 2016 रात्रि 11.59 बजे** तक भरा जा सकता है जिसके पश्चात् लिंक निष्क्रिय (Inactive) हो जाएगा।
- आवेदकों को एक से अधिक आवेदन पत्र नहीं भरने चाहिए, तथापि यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश कोई आवेदक एक से अधिक आवेदन पत्र भरता है तो वह यह सुनिश्चित कर लें कि उच्च आरआईडी वाला आवेदन पत्र हर तरह से पूर्ण है।
- एक से अधिक आवेदन पत्रों के मामले में, आयोग द्वारा उच्च आरआईडी वाले आवेदन पत्र पर ही विचार किया जाएगा और एक आरआईडी के लिए अदा किए गए शुल्क का समायोजन किसी अन्य आरआईडी के लिए नहीं किया जाएगा।
- **आवेदक अपना आवेदन प्रपत्र भरते समय यह सुनिश्चित करें कि वे अपना वैध और सक्रिय ई-मेल आईडी प्रस्तुत कर रहे हैं क्योंकि आयोग परीक्षा प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में उनसे संपर्क करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का इस्तेमाल कर सकता है।**

- **आवेदक को सलाह दी जाती है कि वे अपने ई-मेल लगातार देखते रहें तथा यह सुनिश्चित करें कि @nic.in से समाप्त होने वाले ई-मेल पते उनके इनबॉक्स फोल्डर की ओर निर्देशित हैं तथा उनके एसपीएएम (SPAM) फोल्डर या अन्य किसी फोल्डर की ओर नहीं।**
- उम्मीदवारों को सख्त सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन करें।

## परिशिष्ट-III

## वस्तुपरक परीक्षणों के संबंध में उम्मीदवारों के लिए विशेष अनुदेश

### परीक्षण लैब के नियम

- परीक्षण के दौरान किसी भी उम्मीदवार को परीक्षण लैब से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी।
- किसी भी उम्मीदवार को निरीक्षक की अनुमति के बिना अपनी सीट छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।

### किस सामान की अनुमति है तथा किसकी नहीं है

- जिस परिसर में परीक्षा आयोजित की जा रही है वहां इलेक्ट्रानिक या अन्य किस्म का कैलकुलेटर, लॉग टेबल, स्लाइड रूल, सेल्युलर/मोबाइल फोन/ब्लूटूथ अथवा ऐसे किसी अन्य उपकरण के प्रयोग की अनुमति नहीं होगी जिनका इस्तेमाल संचार उपकरण के रूप में किया जा सकता है। उपर्युक्त अनुदेशों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप उम्मीदवार के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है जिसमें भविष्य के परीक्षणों से प्रतिबंध शामिल है।
- उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे कीमती/मूल्यवान सामान परीक्षण लैब में न लाएं क्योंकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती। इस संबंध में हुए नुकसान के लिए आयोग जिम्मेवार नहीं होगा।

## परीक्षण के दौरान अनुदेश

- परीक्षण की अवधि 120 मिनट अर्थात् 2 घंटे है।
- उम्मीदवार कृपया यह सुनिश्चित करें कि वे ई-प्रवेश पत्र में परीक्षा के लिए यथानिर्दिष्ट रिपोर्टिंग समय तक परीक्षा स्थल पर पहुंच जाएं। ऐसा नहीं करने पर उन्हें परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
- पासवर्ड की घोषणा परीक्षण आरंभ होने के 10 मिनट पूर्व की जाएगी। उम्मीदवार सुरक्षित ब्राउजर खोलेंगे और 10 मिनट तक अनुदेश पढ़ेंगे। तथापि, उम्मीदवारों को निर्धारित समय से पहले अपनी परीक्षा आरंभ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी भले ही वे अनुदेशों को समय से पहले क्यों न पढ़ लें क्योंकि समय का सामंजस्य सर्वर के साथ स्थापित किया गया है। उम्मीदवार को परीक्षण के लॉग-इन पृष्ठ पर यूजर आईडी के रूप में अपना अनुक्रमांक तथा निरीक्षक द्वारा की गई घोषणा के अनुसार लॉग-इन पृष्ठ पर पासवर्ड एंटर करना होगा।
- मांग करने पर कच्चे कार्य के लिए उम्मीदवारों को कागज मुहैया कराया जाएगा।
- परीक्षण में व्यवधान उत्पन्न होने की स्थिति में, उम्मीदवार तत्काल इसकी सूचना निरीक्षक को प्रदान करें। निरीक्षक, परीक्षण में रीलॉग-इन करने में उम्मीदवार की मदद करेंगे। इससे परीक्षण वहां से पुन: प्रारंभ हो जाएगी जहां पर रूक गई थी।
- सभी प्रश्नों की संख्यात्मक सूची स्क्रीन के दाईं तरफ प्रदर्शित होगी।
- परीक्षण के दौरान "शेष समय" पर ध्यान दें।
- एक बार उत्तर दिए जाने के उपरांत वह अंतिम होगा। तथापि, परीक्षण के दौरान अंतिम रूप से जमा (फाइनल सबमिशन) किए जाने से पहले कभी भी उत्तर में परिवर्तन किया जा सकता है, जिसमें 'डिसेलेक्ट' बटन के माध्यम से प्रश्न को अनअटेंप्ट (उत्तर नहीं देना) करना भी शामिल है।
- इस परीक्षण में ऋणात्मक अंकन भी शामिल है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.33 अंकों की कटौती की जाएगी।

- परीक्षण आरंभ होने के दो घंटों के बीत जाने के पश्चात् 'सब्मिट' बटन स्वत: सक्रिय हो जाएगा।
- परीक्षण का समय समाप्त हो जाने के उपरांत आपको उत्तर देने से स्वत: टॉक किया जाएगा और परीक्षण ऑटो-सबमिट (स्वत: जमा) हो जाएगा।
- उम्मीदवार परीक्षण स्थल पर किसी प्रकार की पुस्तकें, कागज, मोबाइल फोन/ब्लूटूथ उपकरण अथवा कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान न लाएं। संघ लोक सेवा आयोग ऐसे सामान की सुरक्षा के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
- प्रतिरूपधारण (धोखेबाजी के उद्देश्य से किसी और की पहचान अपनाना) तथा नकल लेखन कृतियों का उपयोग (मूल्यांकन के लिए अन्य लोगों की कृतियों का प्रयोग तथा उन्हें जमा करना मानो वे कृतियां आपकी अपनी हों) वर्जित है।
- उम्मीदवार किसी भी कारण से अन्य उम्मीदवारों से किसी भी प्रकार की बातचीत नहीं करेंगे। ऐसी बातचीत को परीक्षण नियमों का उल्लंघन माना जाएगा ।
- परीक्षण स्थल पर यदि किसी उम्मीदवार के पास अनधिकृत सामग्री पाई जाती है तो उसे परीक्षण नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। यदि कोई उम्मीदवार परीक्षण नियमों का उल्लंघन करता है तो यह माना जाएगा कि उसने अनुचित माध्यम का प्रयोग किया है। यदि कोई उम्मीदवार अनुचित माध्यम अपनाता है तो उसे इस परीक्षण तथा संघ लोक सेवा आयोग की भावी परीक्षाओं से विवर्जित कर दिया जाएगा और/या उस पर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
- परीक्षण पूरा होने के उपरांत उम्मीदवार अपने स्थान पर शांतिपूर्वक बैठे रहेंगे और तब तक बातचीत नहीं करेंगे जब तक परीक्षण समय पूरी तरह से बीत नहीं जाता है।
- किसी भी उम्मीदवार को परीक्षण के लिए आबंटित समय पूरा होने से पहले परीक्षण लैब से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी।
- किसी भी उम्मीदवार को परीक्षण के अंतिम 30 मिनट के दौरान शौचालय जाने की अनुमति नहीं होगी।
- उम्मीदवार सभी अनुदेशों तथा परीक्षण के पर्यवेक्षक/निरीक्षक द्वारा दिए जाने वाले अन्य ऐसे अनुदेशों का अनिवार्य रूप से पालन करेंगे। यदि कोई उम्मीदवार उपर्युक्त अनुदेशों का पालन नहीं करता है अथवा अव्यवस्था उत्पन्न करता है

अथवा अनुचित आचरण करता है तब उसे परीक्षण से निष्कासित किया जा सकता है तथा/अथवा आयोग अपने विवेकानुसार कोई अन्य उपयुक्त दंड दे सकता है।

- उम्मीदवार, परीक्षण लैब में निरीक्षक/सहायक पर्यवेक्षक/पर्यवेक्षक/अन्य अधिकृत व्यक्ति द्वारा मांगे जाने पर यथापेक्षित आवश्यक तथा सही सूचना प्रस्तुत करेगा।

## परिशिष्ट- IV

## सेवाओं के संक्षिप्त विवरण

इस परीक्षा के माध्यम से जिन सेवाओं में भर्ती की जा रही है, उनके संक्षिप्त विवरण नीचे दिए गए हैं।

### I. रेलवे में सहायक प्रभागीय चिकित्सा अधिकारी

(क) ग्रुप क में पद - समय-समय पर लागू आदेशों के अनुसार पद की संशोधित वेतन संरचना पे बैंड-3 में वेतनमान रु. 15600-39100 होगा जिसका ग्रेड वेतन 5400 रु. होगा एवं इसमें प्रैक्टिसबंदी भत्ता भी शामिल है।

उम्मीदवारों को रेल मंत्रालय अथवा उच्चता प्राधिकार द्वारा समय-समय पर उसके प्राइवेट प्रैक्टिस पर लगाए जाने वाले निषेध/मनाही संबंधी आदेशों का पालन करना होगा। सरकारी सेवा करने वाले उम्मीदवारों को नियमों एवं आदेशों के अनुसार आरंभिक वेतनमान दिया जाएगा जबकि शेष उम्मीदवारों को ऊपर उल्लिखित वेतनमान का न्यूनतम दिया जाएगा।

(ख) उम्मीदवार को एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा जिसे सरकार द्वारा आवश्यक समझे जाने पर आगे और बढ़ाया जा सकता है। परिवीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूरा होने पर उम्मीदवार भारतीय रेल चिकित्सा सेवा के कनिष्ठ वेतनमान में पुष्टि हेतु पात्र हो जाएंगे।

(ग) परिवीक्षा की अवधि के दौरान परिवीक्षाधीन अधिकारियों की नियुक्ति भारतीय रेल स्थापना कोड, खण्ड-I के नियम 301 (3) की शर्तों के

अनुसार दोनों पक्षों में से किसी पक्ष की ओर से एक महीने का लिखित नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है। किन्तु इस प्रकार के नोटिस की आवश्यकता संविधान के अनुच्छे 311 के खंड (2) के उपबंधों के अनुसार अनुशासनिक कार्रवाई के कारण सेवा बर्खास्तगी या सेवा से हटाए जाने या मानसिक अथा शारीरिक अशक्तता के कारण की जाने वाली अनिवार्य सेवा निवृत्ति के मामलों में नहीं होगी।

(घ) उम्मीदवारों को रेलवे मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा और सभी विभागीय परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना पड़ेगा।

(ड.) उम्मीदवार 01.01.2004 से लागू सरकार के आदेशानुसार अंशदायी पेंशन पद्धति द्वारा नियंत्रित होगा।

(च) उम्मीदवार उन्हीं के स्तर के अन्य अधिकारियों पर समय-समय पर लागू छुट्टी के नियमों के अनुसार छुट्टी के हकदार होंगे।

(छ) उम्मीदवार समय-समय पर प्रवर्तित नियमों के अनुसार नि:शुल्क रेलवे पास और विशेष टिकट आदेशों का अधिकारी होगा।

(ज) उम्मीदवार को परिवीक्षा के अवधि के दौरान अनुमोदित स्तर की हिंदी की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, और यदि वह परीक्षा पास नहीं करता है तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती है।

(झ) नियमानुसार उपर्युक्त पद पर नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति को, अपेक्षित होने पर किसी रक्षा सेवा में सेवारत की रक्षा से संबंधित किसी पद पर कम-से-कम चार वर्ष की अवधि के लिए काम करना पड़ सकता है जिसमें किसी प्रशिक्षण पर व्यतीत अवधि शामिल है।

परंतु उस व्यक्ति को :

(i) नियुक्ति की तारीख से 10 वर्ष की समाप्ति के बाद पूर्वोक्त रूप से कार्य नहीं करना होगा।

(ii) सामान्यत: 45 वर्ष की आयु हो जाने के बाद पूर्वोक्त रूप से कार्य नहीं करना होगा।

(ञ) जो बातें ऊपर विनिर्दिष्ट रूप में कही गई हैं उनमें और अन्य मामलों में उम्मीदवार भारतीय रेलवे स्थापना संहिता और समय-समय पर परिशोधित/प्रवर्तित नियमों के अधीन कार्य करेगा।

(ट) प्रारंभ में उम्मीदवार को पार्श्वस्थ स्टेशनों के रेलवे स्वास्थ्य केन्द्र/ औषधालय में नियुक्त किया जाएगा। सहायक प्रभागीय चिकित्सा अधिकारियों को किसी भी रेलवे में स्थानांतरित किया जा सकता है।

(ठ) **"उच्चतर ग्रेडों से संबद्ध वेतनमान तथा भत्तों सहित पदोन्नति की संभावनाएं रेलवे चिकित्सा सेवा भर्ती नियमावली, 2000 तथा रेल मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों तथा अनुदेशों के प्रावधानों के अनुसार होगी"।**

(ड) **कर्त्तव्य और दायित्व**

सहायक प्रभागीय चिकित्सा अधिकारी :

(i) वह प्रतिदिन और आवश्यक होने पर अंतरंग वार्डों और बहिरंग चिकित्सा विभाग का काम देखेगा।

(ii) वह लागू विनियमों के अनुसार उम्मीदवारों और सेवारत कर्मचारियों की शारीरिक परीक्षा करेगा।

(iii) वह अपने अधिकार क्षेत्र में परिवार नियोजन, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता का काम देखेगा।

(iv) वह सामान विक्रेताओं की जांच करेगा।

(v) वह अस्पताल के हेल्थ यूनिट कर्मचारियों में अनुशासन और कर्त्तव्य पालन के लिए उत्तरदायी होगा।

(vi) वह अपनी विशेषज्ञता से संबद्ध कार्य, यदि कोई हो, करेगा और अपनी विशेषज्ञता से संबंधित विवरणियां और मांग पत्र तैयार करेगा।

(vii) वह सभी उपस्करों का रख-रखाव और देखभाल अपने प्रभार में रखेगा।

**टिप्पणी (1) :** जब सहा प्र.चि.अ. किसी प्रभाग के मुख्यालय में सीएमएस/अतिरिक्त सीएमएस/एमएस इंचार्ज के प्रभाग के अधीन नियुक्त किया जाता है तो वह सीएमएस/अतिरिक्त सीएमएस/एमएस इंचार्ज के सभी कर्तव्यों में उसे सहायता देगा किंतु विशेष रूप से उसको कुछ और दायित्व भी सौंपे जा सकते हैं।

**टिप्पणी (2) :** सहा प्र.चि.अ. को समय-समय पर सौंपे गए अन्य कर्तव्य भी निभाने होंगे।

**II. रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय आयुध कारखाना स्वास्थ्य सेवा में सहायक चिकित्सा अधिकारी के पद**

(i) समूह 'क' के पद अस्थायी है लेकिन यथा समय नियमित किए जाने की

संभावना है।

(ii) वेतनमान रू0 15600-39100, वेतन बैंड-3 ग्रेड वेतन रू. 5400 है । समय-समय पर यथा लागू आदेशों के अनुसार प्रैक्टिस निषेध भत्ता (प्र.नि.भ.) और अन्य भत्तों का भुगतान किया जाएगा। वर्तमान में प्रैक्टिस निषेध भत्ते की दर मूल वेतन का 25 प्रतिशत है। (पे बैंड में वेतन+ग्रेड वेतन)

(iii) भारतीय आयुध निर्माणी स्वास्थ्य सेवा नियमावली के प्रावधानों तथा सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार उच्च ग्रेड में प्रोन्नति के अवसर मौजूद है।

(iv) उम्मीदवार को देश के अवस्थित किसी भी आयुध निर्माणी के अस्पताल अथवा औषधालय में तैनात किया जा सकता है। वर्तमान में ये निम्नलिखित स्थानों में अवस्थित है : आंध्र प्रदेश-येदुमाइलारम, बिहार-नालंदा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश-जबलपुर, इटारसी, कटनी, महाराष्ट्र-अंबरनाथ, पुणे, नागरपुर, भंडारा, भुसावल चंदरपुर, देहूरोड, वरणगांव,उत्तर प्रदेश-कानपुर, मुरादनगर, शाहजहांपुर, हजरतपुर, कोरवा, तमिलनाडु-चेन्नई तिरूचिरापल्ली, अरूवर काडु, पश्चिम बंगाल-कोलकाता, उत्तरांचल-देहरादून, उड़ीसा-बोलंगीर।

(v) उम्मीदवारों को नियुक्ति की तारीख से 2 वर्षों की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहना होगा जिसे सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार घटाया अथवा बढ़ाया जा सकता है, परिवीक्षा अवधि को संतोषप्रद तरीके से पूरा करने पर उम्मीदवार नियमित रिक्ति पर स्थायी होने पर अस्थायी पद पर बना रहेगा।

(vi) नियुक्ति परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी पक्ष के द्वारा एक महीने के नोटिस अथवा उसके बाद अस्थायी रूप से तैनाती के दौरान समाप्त की जा सकती है, नोटिस के बदले एक महीने के वेतन का अधिकार सरकार के पास सुरक्षित है।

(vii) किसी भी किस्म की प्राइवेट प्रैक्टिस वर्जित है।

(viii) ड्यूटी के प्रकार

(कक) आपात स्थिति में बाहर और भीतर के मरीजों की चिकित्सीय सेवा

(कख) चिकित्सा परीक्षण

(कग) व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना

(कघ) उनके प्रभार के अंतर्गत विभाग का सामान्य प्रबंधन-योजना बनाना, संगठन तथा कार्य का पर्यवेक्षण, गुणवत्ता आश्वासन, स्टाफ पर

नियंत्रण, अनुशासन, प्रशिक्षण और कल्याण, कर्तव्यों का उचित निर्वहन सुनिश्चित करना, भंडार प्रबंधन, उचित दस्तावेजीकरण, रिकार्डों और आंकड़ों के रखरखाव, उचित हाउस कीपिंग तथा सुरक्षा सुनिश्चित करना, सुविधाओं, उपकरणों और यंत्रों का रखरखाव, संक्रमण नियंत्रण तथा जैव अपशिष्ट का निपटाना सुनिश्चित करना।

(कड़) चिकित्सा अधिकारी प्रभारी द्वारा उन्हें सौंपे गए अन्य कोई कार्य।

**III. केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अधीन कनिष्ठ वेतनमान के पद :**

(क) पद अस्थायी है किन्तु अनिश्चित काल तक चल सकते हैं। उम्मीदवारों को कनिष्ठ ग्रुप 'क' वेतनमान में नियुक्त किया जाएगा और नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक ये परिवीक्षा के अधीन रहेंगे। यह अवधि सक्षम प्राधिकारी के विवेक से घटाई या बढ़ाई जा सकती है। परिवीक्षा की अवधि की संतोषजनक समाप्ति के बाद उनको यथासमय स्थायी पदों के उपलब्ध होने पर स्थायी बनाया जाएगा।

(ख) उम्मीदवारों को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में सम्मिलित किसी भी संगठन के अधीन किसी भी औषधालय या अस्पताल में भारत में कहीं भी नियुक्त किया जा सकता है अर्थात दिल्ली, बंगलौर, मुंबई, मेरठ, लक्षद्वीप,अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, डाक-तार विभाग आदि प्रयोगशाला और परामर्श सेवा सहित किसी भी प्रकार की निजी प्रैक्टिस निषिद्ध है।

(ग) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवाओं के चिकित्सा अधिकारी को पे बैण्ड के पी.बी.-3 में रू. 15600-39100 के साथ ग्रेड वेतन रु. 5400 का वेतनमान देय होगा और छठे वेतन आयोग द्वारा सिफारिश 25 प्रतिशत प्रैक्टिस बंदी भत्ता (एन.पी.ए.) देय होगा। अन्य भत्ते और प्रोन्नति के अवसर केन्द्रीय सेवा नियमावली, 1996 के उपबंध तथा समय-समय पर जारी सरकार के आदेशों और निर्देशों के अनुसार दिए जाएंगे।

**IV. पूर्वी दिल्ली नगर निगम, उत्तरी दिल्ली नगर निगम तथा दक्षिणी नगर निगम में सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी ग्रेड-II**

(i) वर्ग 'क' का उक्त पद अस्थायी है, किंतु यथवधि स्थायी हो सकता है, वेतनमान पे बैण्ड के पी. बी-3 में रू. 15600-39100 के साथ ग्रेड वेतन रु. 5400 का वेतनमान देय होगा, साथ ही समय-समय पर लागू आदेशों के अनुसार प्रतिबंधित प्रैक्टिस बंदी भत्ता।

(ii) उम्मीदवार नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेगा। यह अवधि सक्षम प्राधिकारी के विवेक से घटाई या बढ़ाई जा सकती है। परिवीक्षाधीन अवधि के संतोषजनक समापन पर वह तब तक अस्थायी पद पर रहेगा जब तक स्थायी रिक्ति पर स्थायी नहीं किया जाता है।

(iii) उम्मीदवार की नियुक्ति पूर्वी दिल्ली नगर निगम, उत्तरी दिल्ली नगर निगम तथा दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कहीं भी अस्पताल/डिस्पेंसरी/मातृ और शिशु कल्याण तथा परिवार कल्याण केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आदि में की जा सकती है।

(iv) किसी भी प्रकार की निजी प्रैक्टिस करना मना है।

(v) परिवीक्षा तथा उसके बाद अस्थाई हैसियत से नियोजन की अवधि के दौरान किसी भी तरफ से एक महीने का नोटिस देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकती है। दिल्ली नगर निगम को नोटिस के बदले में एक महीने का वेतन देने का अधिकार है। उच्चतर ग्रेडों में पदोन्नति की संभावनाएं जिनमें वेतनमान तथा भत्ते सम्मिलित हैं, भर्ती विनियमों के उपबंधों के अनुसार होगी।

**V. नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् में सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी**

(क) पे बैण्ड पी.बी.-3 में पद के वेतनमान में 15600-39100 रु. एवं 5400/- रू के ग्रेड वेतन (छठे केंद्रीय वेतन आयोग) सहित समय-समय पर लागू आदेशो के अनुसार प्रतिबंधित प्रैक्टिस निषेध भत्ता शामिल है।

(ख) समय-समय पर परिषद में लागू किए गए पेंशन, उपदान, स्थायीकरण आदि से संबंधित साधारण नियम लागू होंगे।

(ग) उम्मीदवार नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे जिसे सक्षम प्राधिकारी के विवेकाधिकार पर बढ़ाया जा सकेगा। परिवीक्षा अवधि के संतोषजनक रूप में पूर्ण होने पर वे स्थायी रिक्ति की पुष्टि होने तक अस्थायी हैसियत से कार्य करते रहेंगे।

(घ) उम्मीदवार नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के क्षेत्राधिकार के अधीन किसी भी अस्पताल/औषधालय/एम एवं सी तथा परिवार कल्याण केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों आदि में कहीं भी तैनात किया जा सकता है। किसी भी प्रकार की निजी प्रैक्टिस जो कुछ भी हो, प्रतिबंधित है।

(ड.) परिवीक्षा अवधि तथा उसके बाद की अवधि के दौरान जब आप अस्थायी हैसियत से कार्यरत हों। दोनों में से किसी पक्ष की एक महीने की सूचना नोटिस पर नियुक्ति समाप्त की जा सकती है। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् सूचना (नोटिस) के बदले में एक महीने के वेतन का अधिकार सुरक्षित रखती है।

(च) सामान्य ड्यूटी मेडिकल आफिसर 15600-39100/- रू. एवं ग्रेड पे 6600/- रु. वाले पे बैण्ड-3 में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के रूप में तथा वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी से 15600-39100/- रू एवं ग्रेड पे 7600/- वाले पे बैंड-3 में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के रूप में तथा मुख्य चिकत्सा अधिकारी से 37400-67000 एवं 8700/- रु. ग्रेड पे वाले पे बैण्ड-4 में मुख्य चिकित्सा अधिकारी (अकार्यात्मक चयन ग्रेड) तथा 37400-67000 एवं 10000/- रु. ग्रेड पे वाले पे बैण्ड-4 में वरिष्ठ प्रशासिनक ग्रेड पर पदोन्नति के हकदार होंगे।

*****